न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/45 **दायरा दिनांक : 20.03.2023**

उनवान

कजोड वल्द प्रताप, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
.... अपीलांट

बनाम

1. बीरमलाल उम्र 36 वर्ष वल्द बद्रीलाल
2. बलराम उम्र 33 वर्ष वल्द बद्रीलाल
3. केला बाई उम्र 60 वर्ष बेवा बद्रीलाल
4. ज्याना बाई बेवा मांग्या, जाति मीणा मृतक
   अकवाम निवासीगण लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5. जगदीश वल्द नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. घासी उर्फ घनश्याम वल्द नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7. ज्याना बाई पुत्री भवाना पत्नी नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, हाल निवासी पचौला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. केसर बाई पुत्री भवाना पत्नी बरदीलाल, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, हाल निवासी अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
9. फूला बाई पुत्री भवाना पत्नी कल्याण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह हाल निवासी सलावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10. मांगी बाई पुत्री भवाना पत्नी राना जी, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह हाल निवासी ढाबा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राजस्थान)
11. प्रेम बाई पुत्री भवाना पत्नी रोडूलाल, जाति मीणा, निवासी देवरी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
12. कैलाशी बाई पुत्री मांग्या पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा, निवासी खजूरी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
13. भूरी बाई पुत्री मांग्या पत्नी घनश्याम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
14. कल्याणी बाई पुत्री प्रताप पत्नी तुलसीराम, जाति मीणा, निवासी ठीकरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
15. शाखा प्रबन्धक महोदय, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/65(काउंटर क्लेम) **दायरा दिनांक : 19.06.2023**

उनवान

कजोड वल्द प्रताप, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
.... अपीलांट

बनाम

1. बीरमलाल उम्र 36 वर्ष वल्द बद्रीलाल
2. बलराम उम्र 33 वर्ष वल्द बद्रीलाल
3. केला बाई उम्र 60 वर्ष बेवा बद्रीलाल
4. ज्याना बाई बेवा मांग्या, जाति मीणा मृतक
   अकवाम निवासीगण लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5. जगदीश वल्द नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6. घासी उर्फ घनश्याम वल्द नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7. ज्याना बाई पुत्री भवाना पत्नी नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, हाल निवासी पचौला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. केसर बाई पुत्री भवाना पत्नी बरदीलाल, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, हाल निवासी अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
9. फूला बाई पुत्री भवाना पत्नी कल्याण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह हाल निवासी सलावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10. मांगी बाई पुत्री भवाना पत्नी राना जी, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह हाल निवासी ढाबा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राजस्थान)
11. प्रेम बाई पुत्री भवाना पत्नी रोडूलाल, जाति मीणा, निवासी देवरी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
12. कैलाशी बाई पुत्री मांग्या पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा, निवासी खजूरी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
13. भूरी बाई पुत्री मांग्या पत्नी घनश्याम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
14. कल्याणी बाई पुत्री प्रताप पत्नी तुलसीराम, जाति मीणा, निवासी ठीकरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
15. शाखा प्रबन्धक महोदय, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 से 3, 12 व 13 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 02.01.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 89/दावा/13 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.02.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 से 4 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लसूडियाशाह पटवार हल्का लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 131 व पुरानी 134 की खसरा नम्बरान क्रमशः 163 की 2 बीघा 06 बिस्वा, 164 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 165 की 2 बीघा 6 बिस्वा, 168 की 2 बीघा 11 बिस्वा, 224 की 8 बिस्वा, 225 की 5 बिस्वा, 226 की 1 बीघा, 233 की 2 बीघा, 234 की 1 बीघा 4 बिस्वा, 257 की 1 बीघा 17 बिस्वा कुल जुम्ला 10 किता की 16 बीघा 3 बिस्वा आराजी बीरमलाल, बलराम पिता बद्रीलाल, केलाबाई बेवा बद्रीलाल, जानीबाई बेवा मांग्या हिस्सा 1/4 एवं कजोड पुत्र प्रताप हिस्सा 1/4, गोपिया पुत्र कवंरलाल हिस्सा 1/4, जगदीश, घासी उर्फ घनश्याम पिता नारायण हिस्सा 1/4 से

शामलाती खाते में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्रामकोली, तहसील अकलेरा सम्वत 2068 से 2071 पेश है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2023 से वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री व काउंटर क्लेम खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित मामले में केवल दो तनकीयात कायम की और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी दो ही तनकी का निर्णय किया गया है। अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रम 1 के जवाब दावे के आधार पर समुचित तनकीयात कायम नहीं की एवं दोनों तनकी का निर्णय अपीलान्ट के विरुद्ध किया है, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 के द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रम 1 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह भी अंकित किया गया था कि खातेदार गौप्या वल्द कंवरलाल प्रतिवादी क्रम 1 कजोड के पास ही रहता था और उसने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रतिवादी क्रम 1 कजोड के पक्ष में कर दी थी। ऐसी स्थिति में गोप्या के हिस्से की 1/4 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट होने का अधिकारी है ऐसी स्थिति में वसीयत के मामले में अधीनस्थ न्यायालय को काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम करना चाहिये था कि – आया मृतक खातेदार गोप्या वल्द कंवरलाल अपनी स्वेच्छा से अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रतिवादी क्रम 1 कजोड के पक्ष में कर गया था, इस आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 मृतक गोप्या के 1/4 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने का अधिकारी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर तनकीयात कायम नहीं करने में त्रुटि की है एवं अन्य कानूनी तनकीयात भी कायम नहीं करने में भी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के यह मान लिया कि विवादित आराजी खातेदार गोप्या वल्द कंवरलाल मीणा की सार सम्भाल सभी खातेदारान ने उनके पूर्वजों ने की है, और सभी ने शामिल क्रियाकर्म किया है और दाहसंस्कार किया है ऐसी स्थिति में सभी का चल व अचल सम्पत्ति पर अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की साक्ष्य पर व अपीलान्ट के गवाह की साक्ष्य का कोई उचित अवलोकन निर्णय में नहीं किया, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि मृतक खातेदार गोप्या वल्द कंवरलाल मीणा के फौत होने पर सभी खातेदारान के नाम नामान्तरकरण संख्या 536 दिनांक 25.08.2011 को न्यायालय में चुनौती दी गई, वहां से अपील खारिज हो गयी, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी प्रावधानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही में टाईटल का बिन्दु तय नहीं होता, टाईटल का बिन्दु नियमित वाद में ही तय हो सकता है। केवल मात्र नामान्तरकरण की अपील खारिज हो जाने के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 का वाद डिक्री करने के कारण पृथक से अपील भी माननीय न्यायालय में पेश कर दी है। यह अपील अपीलान्ट का काउण्टर क्लेम खारिज करने के कारण पेश की है। अतः दोनों अपीलें अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम के आधार पर समुचित तनकीयात कायम कर प्रकरण का पुनः विधिसम्मत तरीके से निरस्तारण करें।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 के विरूद्ध धारा–223 आर. टी. एक्ट के तहत पेश की गई है।

उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा में वादी/रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 ने विवादित आराजी ग्राम लसूडियाशाह पटवार हल्का लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा के माल की कुल 10 किता की 16 बीघा 3 बिस्वा आराजी के मामले में वादीगण का 1/4 हिस्सा व गोप्या खातेदार की आराजी से प्राप्त 1/12 भाग कुल 1/3 भाग आराजी का पृथक खातेदार दर्ज करने हेतु एवं बंटवारे हेतु वाद पेश किया। अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तनकियात कायम करते हुए कानूनी प्रावधानों एवं दस्तावेजों पर उचित गौर न फरमा कर वादी/रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का वाद डिक्री कर दिया। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विवादित मामले में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावा व जवाबदावे के आधार पर केवल दो ही तनकी कायम की जबकि जवाबदावे के आधार पर समुचित तनकी कायम नहीं की, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 के द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रम–1 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह भी अंकित किया गया था कि खातेदार गोप्या वल्द कंवरलाल प्रतिवादी क्रम 1 कजोड़ के पास ही रहता था और उसने अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रतिवादी कजोड़ के पक्ष में कर दी थी। ऐसी स्थिति में गोप्या के हिस्सों की 1/4 आराजी का खातेदार घोषित करने बाबत् काउन्टर प्रस्तुत किया था काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकी कायम होनी चाहिए– "आया मृतक खातेदार गोप्या वल्द कंवरलाल अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रम 2 कजोड़ के पक्ष में कर गया था। इस आधार पर मृतक गोप्या का 1/4 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने योग्य है ?"

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत के आधार पर व अन्य कानूनी तनकियात भी कायम नहीं करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र यह मानकर निर्णय पारित कर दिया कि अपीलान्ट के द्वारा नामान्तरणकरण 536 दिनांक 25.07.2011 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की थी जो दिनांक 26.11.2014 को खारिज कर दी गई और सभी सहखातेदारान के नाम गोप्या मृतक का इंतकाल खोलना सही माना। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि नामान्तरणकरण की कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति के हक व अधिकार निर्णित नहीं किये जाते। पक्षकारान के हक व अधिकार नियमित वाद में ही तय किये जा सकते हैं।

पक्षकारान जाति से मीणा है ऐसी स्थिति में मृतक गोप्या खातेदार की आराजी में पुत्र होने की स्थिति में पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं बनता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में गोप्या खातेदार के हिस्से की आराजी में रेस्पोडेन्ट क्रम–3 ,4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का कोई हक व अधिकार नहीं बनता क्योंकि मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में आती है जिसके बारे में हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद में गोप्या खातेदार की आराजी में केवल रेस्पोडेन्ट क्रम–1/वादी का हिस्सा तय कर अन्य पक्षकारान का हिस्सा तय नहीं करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों तथा कानूनी प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमाया जो अवैधानिक है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये कि वह दावा, जवाबदावा व काउन्टर क्लेम पर समुचित तनकियात कायम कर मृतक खातेदार गोप्या के हिस्से की आराजी पर ओल्ड हिन्दू लॉ के तहत एवं वसीयत के तथ्य को मद्देनजर रखते हुऐ नियमानुसार विधि सम्मत् तरीके से निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा काउंटर क्लेम पेश किया था। एक ही अपील की गई है इसलिए मेंटेनेबल नहीं है। गोपिया इनके पास रहता है इस आधार पर 1/4 हिस्सा मांगा है जबकि मात्र कह देने से हिस्सा प्राप्त नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब दावे के अनुसार ही तनकी बनायी है और तनकीवार निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

रेस्पोडेंट वादीगण कम 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लसूडियाशाह, पटवार हल्का लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा के माल में कुल किता 10 की 16 बीघा 3 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट वादीगण कम 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा शामलाती खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार गोपिया वल्द कंवरलाल हिस्सा 1/4 फौत हो गया है। जिसका फोती नामान्तरकरण संख्या 536 दिनांक 25.02.2011 विरासत से मृतक खातेदार गोपिया पुत्र कंवरलाल के बजाय वारिसान ज्यानाबाई, केसरबाई, फूलाबाई, मांगीबाई, प्रेमबाई पुत्रियां भुवाना, बीरमचंद, बलराम पुत्र बद्रीलाल, कैलाशीबाई, भूरीबाई पुत्रियां मांग्या, ज्यानाबाई बेवा मांग्या, केलाबाई बेवा बद्रीलाल, कजोडलाल पुत्र प्रताप, कल्याणीबाई पुत्री प्रताप के नाम दर्ज खाता हो गया है। जिसका इन्द्राज नकल जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 के कॉलम नं. 11 व 12 में अंकित है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा है एवं वादीगण को मृतक खातेदार गोपिया वल्द कंवरया के 1/4 हिस्से से भी आराजी प्राप्त हुई है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में रहने से आये दिन लडाई झगडा होता रहता है। इसलिए वादीगण अपने हिस्से की आराजी का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी का विभाजन करा कर अपना हिस्सा अपने पृथक खाते दर्ज करवाकर मौके पर नपवा कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि ***"वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत चलने योग्य न होने से काबिल खारजी है। वादीगण को मृतक गोपिया के हिस्से की आराजी हेतु घोषणात्मक वाद पेश करना चाहिये था। मृतक खातेदार गोपिया वल्द कंवरलाल, जाति मीना, निवासी लसूडियाशाह प्रतिवादी नं० 1 कजोड के पास रहता था तथा उसकी ऐवेर सवेर तथा कियाकर्म दाह संस्कार भी पुत्रवत कजोड के द्वारा ही किया गया तथा उसकी पगडी भी कजोड के बंधी तथा मृतक उसकी सहखातेदार गोपिया द्वारा मृत्यु से पूर्व अपनी अंतिम इच्छा मौखिक रूप से ग्राम वारिसान रामकल्याण, कालूलाल, गोरीलाल आदि के सामने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसियत प्रतिवादी नम्बर 1 कजोड के पक्ष कर दी थी तथा अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी जमीन व मकान का वारिस कजोड होगा। इस कारण अंतिम इच्छा के आधार पर प्रतिवादी नं० 1 कजोड मृतक गोपिया के हिस्से की 1/4 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित होने का अधिकारी है। यह कि प्रतिवादी नं० 1 कजोड का कब्जा मृतक***

गोपिया के हिस्से की वाद की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में से गोपिया के हिस्से की 1/4 भाग आराजी तथा स्वयं के हिस्से की 1/4 भाग आराजी अर्थात 1/2 भाग आराजी पर चला आ रहा है। प्रतिवादी नं० 1 कजोड धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर मृतक गोपिया के हिस्से की 1/4 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित होकर स्वयं के हिस्से की 1/4 भाग आराजी अर्थात 1/2 भाग आराजी का वाद की मद नं० 1 में वर्णित आराजी में से बंटवारा कराकर पृथक खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।"

"वकील वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम गलत तथ्यों पर आधारित है जो चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी ने मृतक खातेदार गोपिया वल्द कंवरलाल मीना, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा के फौत होने पर सभी खातेदारों के नाम नामांतकरण संख्या 536 दिनांक 25.07.2011 को न्यायालय में चुनौती दी गयी वहां से दावा खारिज हो गया तथा अपीलांट न्यायालय द्वारा भी दिनांक 26.11.2014 में अपील खारिज की गयी हैं यह कि सहखातेदार गोपिया का फौत होना व सभी खातेदार के नाम इन्तकाल खुलना सही है। शेष विवरण अस्वीकार है। खातेदार गोपिया व कंवरलाल मीना, निवासी लसूडियाशाह की सार संभाल सभी सहखातेदार ने उनके पूर्वज ने की है और सभी ने शामिल में क्रियाकर्म किया दाह संस्कार किया। इसलिए उनकी चल अचल सम्पत्ती में सभी का अधिकार है। काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है।"

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट वादीगण कम 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत दावा एवं अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय काउंटर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए तनकी नं. 1 वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 के पक्ष में निर्णित करते हुए यह अंकित किया है कि *"वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम लसुडियाशाह खाता संख्या 131 संवत 2068–2071 मद नं. 1 वाद में वर्णित शामलाती खातेदारी आराजी में वादीगण का हिस्सा की 1/4 भाग आराजी दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबन्दी के कॉलम 11 व 12 मे गोपिया के विरासत से प्राप्त आराजी जो 1/12 होती है का इन्द्राज हो रहा है जिससे वादीगण का कुल हिस्सा 1/3 होता है अतः यह तनकी मुताबिक रिकार्ड साबित है। इसलिए यह तनकी इसी प्रकार वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।"*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 2 प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित करते हुए अंकित किया है कि *"प्रतिवादी नम्बर 1 ने इस तनकी को साबित करने के लिए गवाह कजोडीलाल वल्द प्रताप, फूलाबाई पुत्री भवाना व राणा प्रताप वल्द धन्नालाल के बयान कलमबद्ध करवाये गये जो शामिल फायल है। बयानों से प्रतिवादी का कथन साबित नहीं होता है। यहां तक की कजोडीलाल द्वारा बयानों में यह भी व्यक्त किया है कि गोप्या के उत्तराधिकारी बाबत पूर्व में दावा चला था जिसे प्रतिवादी हार गया था। प्रतिवादी द्वारा अपने कथन को साबित करने के लिए कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे इनका तर्क साबित हो। मात्र कह देने से दत्तक पुत्र या वसियत होना नहीं माना जा सकता है। अतः यह तनकी इसी प्रकार विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।"*

अपीलांट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय में सहखातेदार गोपिया वल्द कंवरलाल द्वारा अपीलांट प्रतिवादी कम 1 के पक्ष में अपने हिस्से की आराजीयात की निष्पादित की गई वसीयत की प्रति या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलांट का मृतक सहखातेदार गोपिया वल्द कंवरलाल का वसीयती उत्तराधिकारी होना साबित नहीं होता। केवल अपीलांट के कथन एवं प्रस्तुत गवाहों के शपथ पत्र के आधार पर अपीलांट को मृतक गोपिया का उत्तराधिकारी मानना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता।

मृतक गोपिया का फौती नामान्तकरण संख्या 536 दिनांक 25.02.2011 तस्दीक होकर विरासत से वारिसान के नाम दर्ज हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकितानुसार प्रतिवादी के काउंटर क्लेम के जवाब में वकील वादी ने कथन किया है कि मृतक खातेदार गोपिया वल्द कंवरलाल के फौत होने पर सभी खातेदारों के नाम दर्ज नामान्तरकरण संख्या 536 दिनांक 25.07.2011 को प्रतिवादी अपीलांट द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गयी वहां से दावा खारिज हो गया तथा अपीलांट न्यायालय द्वारा भी दिनांक 26.11.2014 में अपील खारिज की गयी है। इन तथ्यों का खण्डन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में भी नहीं किया गया है। इन्हीं तथ्यों एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2068–2071 के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 का काउंटर क्लेम खारिज किया गया। अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 काउंटर क्लेम एवं अपील में अंकित मृतक खातेदार गोपिया वल्द कंवरलाल की वसीयत से संबंधित अपने कथन को सिद्ध करने में असफल रहा है। मृतक खातेदार गोपिया के हिस्से की 1/4 आराजी का वसीयती उत्तराधिकारी सिद्ध करने के लिए अपीलांट को मृतक गोपिया द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत को विधि सम्मत रूप से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए उसे गवाहों के माध्यम से सिद्ध करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2023 में हस्तक्षेप करना विधिक रूप से उचित नहीं समझते ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2023/45 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 एवं अपील संख्या 2023/65 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 (काउंटर क्लेम) सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचंद्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2023 / 45

कजोड वल्द प्रताप, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
..... **अपीलांट**

1. बीरमलाल उम्र 36 वर्ष वल्द बद्रीलाल
2. बलराम उम्र 33 वर्ष वल्द बद्रीलाल
3. केला बाई उम्र 60 वर्ष बेवा बद्रीलाल
4. ज्याना बाई बेवा मांग्या, जाति मीणा मृतक अकवाम निवासीगण लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5. जगदीश वल्द नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. घासी उर्फ घनश्याम वल्द नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7. ज्याना बाई पुत्री भवाना पत्नी नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, हाल निवासी पचौला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. केसर बाई पुत्री भवाना पत्नी बरदीलाल, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, हाल निवासी अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
9. फूला बाई पुत्री भवाना पत्नी कल्याण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह हाल निवासी सलावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10. मांगी बाई पुत्री भवाना पत्नी राना जी, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह हाल निवासी ढाबा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राजस्थान)
11. प्रेम बाई पुत्री भवाना पत्नी रोडूलाल, जाति मीणा, निवासी देवरी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
12. कैलाशी बाई पुत्री मांग्या पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा, निवासी खजूरी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
13. भूरी बाई पुत्री मांग्या पत्नी घनश्याम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
14. कल्याणी बाई पुत्री प्रताप पत्नी तुलसीराम, जाति मीणा, निवासी ठीकरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

बनाम

15. शाखा प्रबन्धक महोदय, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान
16 – राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 2023 / 65
(काउंटर क्लेम)

कजोड वल्द प्रताप, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
..... **अपीलांट**

1. बीरमलाल उम्र 36 वर्ष वल्द बद्रीलाल
2. बलराम उम्र 33 वर्ष वल्द बद्रीलाल
3. केला बाई उम्र 60 वर्ष बेवा बद्रीलाल
4. ज्याना बाई बेवा मांग्या, जाति मीणा मृतक अकवाम निवासीगण लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5. जगदीश वल्द नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. घासी उर्फ घनश्याम वल्द नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7. ज्याना बाई पुत्री भवाना पत्नी नारायण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, हाल निवासी पचौला, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. केसर बाई पुत्री भवाना पत्नी बरदीलाल, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, हाल निवासी अर्जुनपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9. फूला बाई पुत्री भवाना पत्नी कल्याण, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह हाल निवासी सलावद, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10. मांगी बाई पुत्री भवाना पत्नी राना जी, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह हाल निवासी ढाबा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राजस्थान)
11. प्रेम बाई पुत्री भवाना पत्नी रोडूलाल, जाति मीणा, निवासी देवरी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
12. कैलाशी बाई पुत्री मांग्या पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति मीणा, निवासी खजूरी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
13. भूरी बाई पुत्री मांग्या पत्नी घनश्याम, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
14. कल्याणी बाई पुत्री प्रताप पत्नी तुलसीराम, जाति मीणा, निवासी ठीकरिया, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड
15. शाखा प्रबन्धक महोदय, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2023/45, 2023/65 (काउंटर क्लेम)** एवं नाराजगी डिक्री अदालत–**उपखण्ड अधिकारी,अकलेरा**
मु.द.नं **89/दावा/2013** निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक **17.02.2023**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 06 माह **12** सन् **2024**

हाजरी **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री संजय सक्सैना** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 से 3, 12 व 13 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंट** अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या 2023/45 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 एवं अपील संख्या 2023/65 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 (काउंटर क्लेम) सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.02.2023 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 02 माह 01 सन् 2025 को जारी किया गया।

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)